कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

email : dpobilaspur@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक/6219/मबावि/मि.हब/25–26 बिलासपुर दिनांक 26/12/2025

भारत सरकार द्वारा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा एवं बचाव हेतु महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ किया गया है। मिशन शक्ति के उपयोजना शीर्ष सामर्थ्य अंतर्गत स्वाधार एवं उज्जवला गृह योजना को समाहित कर शक्ति सदन–एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह योजना का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। शक्ति सदन का प्रभावी संचालन एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियुक्ति किया जाना है, इस हेतु पात्र आवेदकों से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 29-12-2025 से दिनांक 19-01-2026 तक शाम 05.30 बजे तक (अवकाश दिनों को छोड़कर) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि में आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर (छ.ग.) में आमंत्रित किए जाते है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	पद का नाम	पद संख्या	संविदा नियमानुसार मासिक वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4	5
1	आवासीय अधीक्षक	01	20900	07
2	कार्यालय सहायक	01	16310	05
3	बहुउद्देशीय सहायक	02	11720X2	02
4	रसोईयां	02	6135 X2 (अर्द्धकालीन संविदा)	02
5	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	03	11360 X3	01

a. भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शी निर्देश अंतर्गत "शक्ति सदन" हेतु कर्मचारियों के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएं एवं वित्तीय मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

b.

क्रं.	पद का नाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय शर्ते	आयु सीमा
1	आवासीय अधीक्षक	विधि/सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	—	शासकीय/अशासकीय परियोजना/कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित प्रासंगिक क्षेत्र में प्रशासनिक/ प्रबंधकीय पद पर कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा उसी पद के भीतर या बाहर काउंसलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	स्थानीय समुदाय / क्षेत्र के महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। ताकि केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन एवं अनुभव का उपयोग किया जा सके। कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान हो।	आयु 01.01. 2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।

2	कार्यालय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस में कार्य करने हेतु दक्ष।	राज्य या जिला स्तर पर शासकीय/ अशासकीय संगठनों में कार्यालयीन कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	–	आयु 01.01.2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3	बहुउद्देशीय सहायक	पांचवी उत्तीर्ण	–	पद अनुरूप क्षेत्र में काम करने का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	–	आयु 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम न हो
4	रसोइया	पांचवी उत्तीर्ण	–	पद अनुरूप क्षेत्र में काम करने का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	–	
5	सुरक्षा गार्ड /चौकीदार	पांचवी उत्तीर्ण	–	राज्य/जिला स्तर पर शासकीय या प्रतिष्ठित संस्थान में सुरक्षागार्ड के रूप में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	सेवानिवृत्त सैन्य/अर्द्ध–सैन्य व्यक्ति/महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।	

c. शक्ति सदन में समस्त कर्मचारी **महिलाएं** होंगी।

d. शक्ति सदन के संचालन हेतु कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जायेगा। संस्था में संविदा आधार पर कर्मचारी के नियुक्ति के पूर्व चरित्र/अन्य संबंधी सत्यापन पुलिस विभाग के द्वारा किया जाना आवश्यक है।

e. उपरोक्त कर्मचारियों के संविदा वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही संविदा वेतन दिया जायेगा।

2. वेतन भत्ते एवं सुविधा :–

2.1 शक्ति सदन हेतु निर्धारित संविदा वेतन पर भारत शासन द्वारा दी जा रही सहायता तक यह पद स्वीकृत है तथा अन्य सुविधाएं (अवकाश, यात्रा भत्ता व्यय एवं वेतन भारत शासन की वित्तीय सीमा के भीतर) छत्तीसगढ़ राज्य में गठित राज्य संविदा भर्ती नियम के अनुसार होगा, यह पद योजना के पद है। **अतः विभागीय सेटअप में शामिल नहीं किया जायेगा अपितु योजना संचालन तक भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार संविदा अवधि तक तथा निर्धारित संविदा वेतन पर होंगे।**

2.2 पद हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रं. 01 की सारणी क्रं. 04 में उल्लेखित है तथा योजनावधि में नियुक्त कर्मचारियों को एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन/भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

2.3 इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

3. आयु सीमा एवं अनुभव :–

3.1 शक्ति सदन के आवासीय अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 23 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।

3.2 शक्ति सदन के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम न हो।

3.3 आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या शाला का दाखिल खारिज पंजी / कक्षा 5वीं / 8वीं / 10 वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अंकसूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

3.4 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को राशि 50 /– रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.5 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिये।

3.6 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

3.7 आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

3.8 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

3.9 शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैरसरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नही होगा। अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में संस्था को यदि किसी विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त अनुभव / अनापत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

3.10 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

3.11 प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई–मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

3.12 आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित आर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

3.13 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक–इन–इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यकता हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है।

3.14 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जायेंगे।

3.15 कौशल परीक्षा/वॉक–इन–इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3.17 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

4. नियुक्ति प्रकिया :–

4.1 मिशन शक्ति योजनांतर्गत शक्ति सदन के संचालन हेतु स्वीकृत 09 पदों पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

4.2 मिशन शक्ति योजनांतर्गत जिले में शक्ति सदन संचालन हेतु स्वीकृत पदों की नियुक्ति जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जा कर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही की जावेगी। चयन समिति जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेंगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

4.3 जिले की चयन समिति के संयोजक जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। समिति में जिले के कोषालय अधिकारी, उपसंचालक रोजगार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/परियोजना अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित एक या दो अन्य अधिकारी शामिल होंगे। चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी सहित महिला राजपत्रित अधिकारी का प्रतिनिधित्व हो, यह भी ध्यान रखा जावे।

4.4 चयन समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जायेगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली निर्धारित की जायेगी। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे –

4.4.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको वेटेज देते हुये 60 अंक।

4.4.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 20 अंक।

4.4.3 उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

4.4.4 वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है, वहां दोनो में 10–10 अंक होंगे।

4.4.5 अभ्यर्थियों के चयन हेतु मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठिता के आधार पर चयन में वरीयता दी जायेगी।

4.4.6 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर कं 4.3 के उप कंडिका 4.4.1, 4.4.2 एवं 4.3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट सूची में से प्रत्येक पद के 1:5 के अनुपात में वॉक–इन–इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी एवं चयन किया जायेगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

5. **नियुक्ति अवधि :—**

5.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जायेगा। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवहार, विभाग की आवश्यकता तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि प्रत्येक बार 01 या 02 वर्ष के लिये जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। संविदा की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

5.2 नियुक्ति अवधि में शक्ति सदन के प्रावधान के अनुसार संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इन कर्मचारियों को अवकाश सुविधा की पात्रता संविदा नियम 2012 (यथा संशोधित समय–समय पर) अनुसार ही देय होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता दिया जा सकेगा।

5.3 योजना के 09 पद संविदा वेतन के पद स्थायी नहीं है तथा नियुक्त कर्मियों के द्वारा अच्छे अवसर प्राप्त होने पर त्याग पत्र दिये जाने की सतत् प्रकिय होती है। अतः इन पदों पर त्याग पत्र होने के उपरांत रिक्त हुए पदों पर पुनः नियुक्ति के अधिकार जिला कलेक्टर को ही होंगे। इस हेतु वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2025 से दिनांक 19.01.2026 तक कार्यालयीन समय 05.30 बजे तक **कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे** स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ कुरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किये जायेंगे।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला– बिलासपुर (छ0ग0)

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पर होना चाहिए चस्पा करे

1. आवेदित पद का नाम : – ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : – ....
   (अंगेजी में) : – ....
3. पिता / पति का नाम : – ....
4. स्थायी पता : – ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) : – ....
   ....दूरभाष / मोबाईल..............................
   ई–मेल आईडी...
6. जन्मतिथि (अंको में) : – ....
   (शब्दो में)
7. दिनांक 01 / 01 / 2025 को आयु : – ....वर्ष......................माह....................दिन
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है,:–..
   हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :–...
9. लिंग पुरूष / महिला : – ....
10. जाति / वर्ग (अ.जा / अ.ज.जा. / अ.पि.व / सामान्य) : – ....
    (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय में सेवारत है? : – ....
    हां तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता : – ....
13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या : – ....
14. शैक्षणिक योग्यता :–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता का विवरण : – ....
16. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : – ....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :–
    1. जन्म तिथि हेतु 5वी/8वी/10 वी की अंकसूची/जन्मप्रमाण पत्र
    2. 12 वी की अंकसूची/प्रमाण पत्र
    3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र
    4. स्नातकोततर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
    5. जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
    6. रोजगार पंजीयन की प्रति।
    7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।
    8. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।
    9. एफ लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित।

18. अन्य संलग्नो का विवरण

1.. 6..
2.. 7..
3.. 8..
4.. 9..
5.. 10..

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरी विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः– ....

दिनांक :–..